न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 36/अपील/19 तारीख दायरा 03.05.19

1. बालचन्द आ0 मदनलाल जाति नाई ,निवासी गुलखेड़ी, तहसील अकलेरा।
2. राजूलाल आ0 मदनलाल जाति नाई ,निवासी गुलखेड़ी, तहसील अकलेरा।
3. भगवानसिंह आ0 मदनलाल जाति नाई ,निवासी गुलखेड़ी, तहसील अकलेरा।
4. मांगीबाई पुत्री मदनलाल जाति नाई ,निवासी गुलखेड़ी, तहसील अकलेरा।
5. धापूबाई पुत्री मदनलाल जाति नाई ,निवासी गुलखेड़ी, तहसील अकलेरा।
6. भूलीबाई बेवा मदनलाल जाति नाई ,निवासी गुलखेड़ी, तहसील अकलेरा।

——————————अपीलान्टस

बनाम

1. रामचन्द्र आ0 भेरू जाति नाई निवासी गुलखेड़ी तहसील अकलेरा।
2. कालू आ0 भेरू जाति नाई निवासी गुलखेड़ी तहसील अकलेरा।
3. लक्ष्मीनारायण आ0 गोपाल नाई निवासी गुलखेड़ी तहसील अकलेरा।
4. बाबू आ0 गोपाल नाई निवासी गुलखेड़ी तहसील अकलेरा।
5. रमकू पत्नि स्वर्गीय गोपाल नाई निवासी गुलखेड़ी तहसील अकलेरा।
6. सुगना पुत्री गोपाल नाई निवासी गुलखेड़ी तहसील अकलेरा।
7. मन्जू पुत्री गोपाल पत्नि प्रेमचन्द जर् नाई निवासी ढाबली तहसील असनावर
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा जिला झालावाड़

——————————रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अकलेरा मि0नं0 63/17 दिनांक 10.04.19

उपस्थितः— 1 श्री संजय सक्सेना वकील अपीलान्टस

2 श्री शैलेन्द्र कुमार पोसवाल वकील रेस्पाडेन्टस

—: निर्णय :— दिनांकः— 30.09.19

यह अपील अपीलान्टस द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के आदेश दिनांक 10.04.19 से अप्र...न होकर प्रस्तुत की गई है—संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुवे पुनः पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन पत्र तैयार कर नियमानुसार आदेश पारित करे—लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने माननीय अपील न्यायालय के निर्णय की पालना नही की एवं निर्णय दिनांक 08.08.11 को ही यथावत रखा है—इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर आदेश पारित किया है, अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम गुलखेडी तहसील अकलेरा में स्थित आराजी ख0न0 463, 464, 465, 608/519, 608/520 की 6 बीघा 6 बिस्वा भूमि का बंटवारा जमाबंदी में दर्ज हिस्से के अनुसार नही किया है अपीलान्टस को उक्त आराजी में से 1/2 हिस्सा यानि कि 3 बीघा 3 बिस्वा मिलना चाहिये था, अपीलान्ट का हिस्सा किसी विधिक के बिना

अति0 कलक्टर एवम्
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज0)

कम नही किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को कितनी बीघा आराजी दी गई है इसको नही देखा तथा रेस्पा0 को आराजी हिस्से के कितने बीघा आराजी दी गई नही देखा तथा इस बाबत किसी प्रकार की कोई जॉच नही की गई–पक्षकारान की अनुपस्थिति में बंटवारा स्किम बनायी गई है–बंटवारा स्कीम पर व आदेश पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नही है तथा कोई कोई दिनांक भी अंकित नही है–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस को साक्ष्य पेश करने का उचित अवसर भी नही दिया गया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्टस दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को जर्ये नोटिस तलब किया गया रेस्पो0 की ओर से वकील श्री शैलेन्द्र कुमार पोसवाल द्वारा वकलातनामा प्रस्तुत किया गया, बहस उभय पक्ष सुनी गई वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो को दोहराते हुवे अनुरोध किया गया कि अपीलान्टस का विवादग्रस्त आराजी 6 बीघा 6 बिस्वा में 1/2 हिस्सा होने पर अपीलान्टस के खाते में 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि आनी चाहिये थी परन्तु पटवारी हल्का द्वारा त्रुटी पूर्वक बंटवारा करते हुवे 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि ही अपीलान्टस को दी गई है–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.16 की अनुपालना में पुनः विभाजन पत्र तैयार कर नियमानुसार आदेश पारित नही किया गया है–अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.04.19 को खारिज फरमाया जाकर पुनः विभाजन तैयार करने हेतु निर्देशित किया जावे। वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि सहमती के आधार पर हुआ बंटवारा अपीलेबल नही होने से अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। सहमति से बंटवारा पत्र में अपीलान्टस के फोटो लग हुवे है एवं हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी आदि अंकित हो रहे है, उक्त 1 बीघा 4 बिस्वा आराजी की राशि रूपये 1,62000/–रेस्पो0 द्वारा अपी0 को दिये गये है, इसलिये अपीलान्टस द्वारा वक्त बंटवारा अपनी सहमति दर्ज करवाई गई थी–अब रेस्पो0 को परेशान करने की नियत से यह कार्यवाही कर रहा है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर रेस्पो0 को राहत प्रदान की जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं बहस विद्वान अभिभाषकगण पर मनन किया अपीलान्टस अपनी अपील में यह कहकर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया गया जबकि विभाजन पत्र में अपीलार्थीगण के फोटो भी चस्पा है एवं हस्ताक्षर आदि भी किये हुवे है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त विभाजन अपीलार्थी की सहमति से ही हुआ है, इसीलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.19 को पारित निर्णय से पूर्व में किया गया बटवारा दिनांक 08.08.11 को यथावत रखने का निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार सहखातेदार समझोते से अपनी हिस्सेदारी को विभाजित कर सकते है, और समझोता निश्चित और स्पष्ट है, और एक स्थायी विभाजन वार्ड के बाद चुनौती नही हो सकता है। इसलिए हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.04.19 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की छाया प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.08.19 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति शामिल फाईल रहे।

30/8/19

(करतार सिंह पुनिया)
अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)